

क्रमांक एफ 10-11/खाद्य/2005/29

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2009

प्रति,

मुख्य विश्लेषक अधिकारी
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी)
छत्तीसगढ़ राज्य इकाई,
मंत्रालय, रायपुर ।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4 (1) (बी) के तहत
Proactive Disclosure की जानकारी अपडेट करने बाबत ।

-::0::-

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के पत्र क्रमांक 990/छ0ग0सू0आ/09, दिनांक 31.01.2009 में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा (1) (बी) में निहित 17 बिंदुओं का उल्लेख है । सूचना का अधिकार की वेबसाइट <http://cg.nic.in/rti> में Proactive Disclosure धारा-4 (1) (बी) में निहित 17 बिंदुओं की जानकारी विभाग द्वारा प्रविष्टि कराया जाना है ।

2/ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीनस्थ निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त सी.डी. संलग्न है :-

1. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, रायपुर ।
2. नियंत्रक, नापतौल, रायपुर ।
3. छ0ग0 राज्य स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन रायपुर ।
4. छ0ग0 राज्य स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन रायपुर ।
5. छ0ग0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतियोगिता आयोग, रायपुर ।

3/ निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार इस विभाग की संकलित जानकारी को सूचना का अधिकार की वेबसाइट <http://cg.nic.in/rti> में प्रविष्टि उपरान्त सी.डी. वापिस करने का कष्ट करें ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार,

(एस0एल0 आदिले)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पू0कमांक एफ 10-11/खाद्य/2005/29

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2009

प्रतिलिपि:-

- ✓01. सचिव, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ0ग0) की ओर उनके पत्र क्रमांक 990/ छ0ग0सू0आ/09, दिनांक 31.01.2009 के संदर्भ सूचनार्थ प्रेषित ।

(एस0एल0 आदिले)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग